

झारखण्ड सरकार  
वाणिज्य-कर विभाग।

पत्रांक-वाकर/जी0एस0टी0/12/2017 4199

रॉंची, दिनांक-17/11/17

शुद्धिपत्र

एस0 ओ0 संख्या- 126 दिनांक 14.11.2017 के रूप में झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना संख्या- 46/2017 राज्य कर (दर) के क्रम संख्या- (ii) प्रविष्टि (क), (ख), (घ) में शब्द "और कैंटीन भी आते हैं," के पश्चात् निम्नांकित "चाहे जहां ऐसे खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तु जिनका कि मानव के द्वारा उपभोग किया जाता है, या पेय पदार्थ को उसी परिसर में या उस परिसर के बाहर उपभोग करने के लिये, उपलब्ध कराया जाता है," अन्तःस्थापित किया जाता है।

*harian*  
17/11/17

(के0के0 खण्डेलवाल)  
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त।